न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1124 / 2022
सी0एन0आर0 संख्या–**UPBP010023332022**
(रजिस्टर संख्या–659 / 2022)
शाहरूख आदि प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

UPBP010023332022

17.10.2022

निस्तारण नियमित जमानत प्रार्थनापत्र

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र, प्रार्थी / अभियुक्तगण शाहरूख, शबनम एवं रूखशाना की ओर से अपराध संख्या–50 / 2022 धारा–380, 417, 411 भारतीय दण्ड संहिता थाना–कोतवाली जरवा जिला–बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 16.08.2022 को 4:30 बजे दो महिलाए प्रथम सूचनादाता दिनेश चन्द्र जोशी की बघेलखण्ड चौराहे पर स्थित सोने–चांदी की दुकान पर आकर पायल खरीदी एवं सोने की बाली देखने के दौरान एक पैकेट में रखे 05 जोड़ी सोने के झाला 20 ग्राम चुरा लिए तथा बाली का पर्चा बनाने को कहकर कि अपने पति से पैसा ले आवे, पास में खड़ी स्वीफ्ट डिजायर संख्या–यू0पी0 32 एचबी / 7972 पर बैठकर तुलसीपुर की तरफ चली गई, पीछा किया गया तो आमजन के सहयोग से चुंगी नाका तुलसीपुर पर गाड़ी रोकी गई, किन्तु गाड़ी चालू हालत में छोड़कर दोनों महिलाएं एवं दो पुरूष भाग गए। उक्त आशय के प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना आरम्भ हुई तथा दौरान विवेचना दिनांक 30.09.2022 को उपनिरीक्षक रामकुमार वर्मा ने पुलिस हमराहियान की मदद से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण शाहरूख, शबनम एवं रूखशाना को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 04 जोड़ी सोने के झाले बरामद हुए, जिसे उन्होंने अपराध संस्वीकृति करते हुए इस प्रकरण के प्रथम सूचनादाता की दुकान से चोरी करने का तथ्य प्रकट किया। सूचना पर पहुंचकर प्रथम सूचनादाता द्वारा चोरी के सामान की पहचान की। विवेचक द्वारा प्रकरण में विवचेनापरान्त अभियुक्तगण शाहरूख, शबनम एवं रूखशाना के विरूद्ध धारा–380, 417, 411 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में विचारण हेतु आरोपपत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

4. प्रार्थी / अभियुक्तगण की ओर से जमानत का मुख्य आधार यह लिया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं तथा उन्होंने वर्णित अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो अज्ञात पुरूष व दो अज्ञात महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा करीब डेढ़ माह बाद प्रकाश में नाम लाकर 03 लोगों की गिरफ्तारी

दर्शायी गई है। प्रार्थीगण शाहरूख एवं शबनम आपस में मॉ–बेटे हैं। प्रार्थिनी शबनम व रूखशाना आपस में नन्द एवं भाभी हैं। प्रार्थिनी शबनम बीमार रहती है, जिसका दवा–इलाज चल रहा है। प्रार्थी अपनी मां के झाड़–फूंक हेतु बाबा कल्लन शाह के मजार पर तुलसीपुर लेकर गया था कि पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी कोई बात नहीं सुनी। प्रार्थीगण को झूंठा व फर्जी फंसाया गया है। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

5. उभयपक्ष को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 30.09.2022 से कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण में कथित घटना के लगभग डेढ़ माह के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्तगण के कब्जे से कथित चोरी के आभूषण की बरामदगी होना कहा गया है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। थाना–कोतवाली जरवा से प्राप्त आख्या के अनुसार स्थानीय थाना पर प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रकरण के गुण–दोष पर मत व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण शाहरूख, शबनम एवं रूखशाना की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1124/2022 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रार्थीगण में प्रत्येक को राशि अंकन रूपये 1,00,000/–(एक लाख) का व्यक्तिगत बन्धपत्र, इसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़ा जाए :–

1. प्रार्थीगण जमानत पर रिहा होने के उपरान्त वर्णित अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे,
2. प्रार्थीगण साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे,
3. प्रार्थीगण पलायित नहीं करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर विचारण कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।